"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2014—ज्येष्ठ 9, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक ई-01-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से., (सी.जी.-1991), आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग, आयुक्त आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग तथा प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से., (सी.जी-2002), संचालक, नगरीय प्रशासन तथा संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री आर. एस. विश्वकर्मा तथा डॉ. रोहित यादव द्वारा उक्त पदों का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुबोध सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी.-1997) सचिव-सह-आयुक्त, विमानन, सचिव, खनिज साधन विभाग, सचिव, मुख्यमंत्री, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तथा संचालक व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी केवल सचिव-सह-आयुक्त विमानन के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2014

क्रमांक एफ 7-13/2014/एक-14/भापुसे.—श्री संजय पिल्ले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों एवं एन्टी करप्शन ब्यूरों, रायपुर को दिनांक 07-06-2014 से दिनांक 04-07-2014 (28 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र क्रमांक 11019/06/2001-AIS-III, दिनांक 05-12-2007 में निहित शर्तों के अनुसार श्री पिल्ले को उक्त अवकाश अवधि में स्वयं के व्यय पर अमेरिका प्रवास की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिल्ले, आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों एवं एन्टी करप्शन ब्यूरों, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पिल्ले, को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिल्ले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक एफ 10-9/2013/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्रमांक F 10-09/2013/16, रायपुर दिनांक 10-09-2013 में असंगठित कर्मकारों के लिए "मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना" में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) "पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की हो."

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के निम्नांकित बॉयलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से कार्योत्तर/अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3799	दिनांक 01-04-2014 से 15-04-2014 (कार्योत्तर)
2.	M.P./3569	दिनांक 03-04-2014 से 31-08-2014 (अतिरिक्त)

(1) संदर्भाधीन बायलर को प्रहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3434 को दिनांक 23-04-14 से 22-08-2014 (अर्थात् 04 माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

क्रमांक एफ 3-148/2013/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतदद्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की ततसंबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-रानीतराई तह.-पाटन जिला-दुर्ग	थाना-रनचिराई, जिला बालोद	गुढ़ियारी	30
			पौहा	31
			कुम्हली	31
			भैंसबोड़	31
			जामगांव	46
			टेमरी	51
			नवगांव	47
			बेल्हारी	50
			किकिरमेटा	50
			आगेसरा	49
			उमरपोटी	49
			गातापार	49
			अरमरी खुर्द	48
			रीवागहन	48
			बटरेल	48
			बासीन	47
			धमना	47
			औरी	46
			खोला	47
			बोरवाय	46
2.	थाना नंदिनी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग.	थाना-बेरला, जिला-बेमेतरा	मोहरेंगा	33
			कंदई	33
			माटरा	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			गोता	32
			खजरी	33
3.	थाना-धमधा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग	थाना-बेरला, जिला-बेमेतरा	बिरोदा	30
			दारगांव	31
			टठिया	31
			मोहलई	31
			ठेंगाभाठ	34
			छिराहीडीह	32
			धौंराभाठा	32
			तरकोरी	32
जिला-गरियाबंद				
1.	चौकी-बिन्द्रानवागढ़, तहसील-गरियाबंद	थाना-पीपरछेड़ी, तहसील-गरियाबंद.	गरभनतोरा	56
2.	चौकी-बिन्द्रानवागढ़, तहसील-गरियाबंद	थाना-मैनपुर, तहसील-गरियाबंद.	आमामोरा	63
			ओंढ	63
			अमलोर	63
			कुकरार	63
			नगरार	63
			हथौड़ाडीह	63
			जोबपारा	63
			टोरीभुई	60
			मरदाडीह	59
			मारागांव	60
			धवलपुरडीह	61
			जंगल धवलपुर	61
			अच्छाछेरका (हरदीबाय)	61
			जरण्डी	61
			बोड़ापाल	61
			लादाबहरा	61
			कुर्राबहरा	60
			पारागांव	62
			मोहदा	62
			घटौद	62
			बोईरगांवकला	58
			आमगांव	58
3.	चौकी-बिन्द्रानवागढ़, तहसील-गरियाबंद	थाना-गरियाबंद, तहसील-गरियाबंद.	सातधार	38
			कसाबाय	38
4.	चौकी-बिन्द्रानवागढ़, तहसील-गरियाबंद	थाना-पीपरछेड़ी, तहसील-गरियाबंद.	कारीडोंगरी	38
			पतोरादादर	38
5.	थाना-मैनपुर, तहसील-मैनपुर	थाना-शोभा, तहसील-मैनपुर	झरियाबहरा	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	थाना-जुगाड़, तहसील-मैनपुर	थाना-मैनपुर-तहसील-मैनपुर	कोदोमली	75
			बेसराझर	68
			गौरमुण्ड	68
			इचरादी	74
7.	थाना-जुगाड़, तहसील-मैनपुर	थाना-शोभा, तहसील-मैनपुर	कोदोमाली	74
8.	थाना-इंदागांव, तहसील-देवभोग	थाना-जुगाड़, तहसील-मैनपुर	अमली	75
9.	थाना-इंदगांव, तहसील-देवभोग	थाना-देवभाग, तहसील-देवभोग	उसरीजोर	36
10.	थाना-अमलीपदर, तहसील-देवभोग	थाना-इंदागांव, तहसील-देवभोग	धुरवागुड़ी	41
			फुलवारी	36
जिला-राजनांदगांव				
1.	थाना-खड़गांव, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव.	थाना-मोहला, तहसील-मोहला जिला-राजनांदगांव.	बिटेझर	17
			शेरपार	17
2.	थाना-डोंगरगांव, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	थाना-अम्बागढ़ चौकी, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव	परेवाडीह	39
3.	थाना-चिल्हाटी, तहसील-अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव.	थाना-गैंदाटोला, तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव	साल्हे	01
			कुसुमकसा	01
			हालमकोड़ो	03
जिला-कबीरधाम				
1.	थाना-बोड़ला, तहसील-बोड़ला, जिला-कबीरधाम.	थाना-चिल्फी, तहसील-बोड़ला जिला-राजनांदगांव	नेवराटोला	12
2.	थाना-पाण्डातराई, तहसील-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम	थाना-कुण्डा, तहसील-पण्डरिया जिला-कबीरधाम.	नवागांव गजरी	43
3.	थाना-पाण्डातराई, तहसील-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम	थाना-कुण्डा, तहसील-पण्डरिया जिला-कबीरधाम.	धनेली	48
4.	थाना-पाण्डातराई, तहसील-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम.	थाना-कुण्डा चौकी दामापुर, तह.-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम	कोलेगांव	48
5.	थाना-पिपरिया, चौकी-दशरंगपुर तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	थाना-स. लोहारा, तह.-स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	गोरखपुर कला	30
6.	थाना-पिपरिया, चौकी दशरंगपुर, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	थाना-स. लोहारा, तह.-स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	सिंघोरी	30
7.	थाना-पिपरिया, चौकी दशरंगपुर तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	थाना-स.लोहारा, तह.-स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	रूसे	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	थाना-पिपरिया, चौकी दशरंगपुर तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम	थाना-स. लोहारा, तह-स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	बैंजी	33
जिला-महासमुन्द				
1.	थाना-सांकरा, तहसील-पिथौरा जिला-महासमुंद	थाना-बसना, तहसील-बसना, जिला-महासमुन्द	झगरेनडीह	40,
			बरनईदादर, नारायणपुर, भगतदेवरी, केसरीपुर, भैरोपुर, प्यारीदादर	36
2.	थाना-सांकरा, तहसील-पिथौरा जिला-महासमुन्द	थाना-पिथौरा, तहसील-पिथौरा जिला-महासमुन्द	बल्दीडीह,	31,
			भोकलुडीह, सपोस, गबौद, अनसुला, चारभाठा, खैरखुंटा, बिंधनखोल, कुरमाडीह, लोहारकोट, पाटनदादर.	32
3.	थाना व तह.-सरायपाली, जिला-महासमुन्द.	थाना व तह.-बसना, जिला-महासमुन्द	अंतरला	23
			पण्डापारा	23
			कलेण्डा	23
4.	थाना-पिथौरा, तहसील-पिथौरा जिला-महासमुन्द	थाना-तेंदुकोना, तहसील-बागबहरा जिला-महासमुन्द	चिखली	30
			टोंगोपथरा	30
			सुखीपाली	30
			डुमरपाली	29
			अमोदीडीह	29
			गिरना	25
			कौडिया	11
			ठाकुरदिया खुर्द	18
			खपराखोल	18
			अरण्ड	19
5.	थाना-कोमाखान, जिला-महासमुन्द	थाना-बागबहरा, जिला-गरियाबन्द	चोरभट्ठी (वनग्राम) थाना छुरा	21
6.	थाना-कोमाखान, जिला-महासमुन्द	थाना व तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द	मोखा	32
			खेमड़ा	30
			बाघामुड़ा	31
			कसहीबाहरा	21
जिला-धमतरी				
1.	थाना-केरेगांव, तहसील-नगरी, उप तहसील-कुकरेल, जिला-धमतरी.	थाना-अर्जुनी, तहसील-नगरी उप तहसील-कुकरेल, जिला-धमतरी	माडमसिल्ली	
			कुरमाझर	
			रायपारा	06
			बगरूमनाला	08
			हितली	08
			अमलीपारा	07
			छिन्दभर्री	07
			सियारीनाला	08
			चनागांव	07
			बिजापुर	08
			मोथीपारा	07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			उरपोटी	
			मोंगरा	
			बलारबहरा	वनग्राम
			सिलतरा	30
			बेन्द्रापानी	
			जामानाला	08
			जंगलपारा	
			सुपली कोन्हा	
			बरपारा	
			पंडरीपानी जंगल	28
			नाथूकोन्हा	06
			भालूकोन्हा	
			हर्राकोठी रायपारा	
			गेदरापारा	
			मोथापारा	
			गुडरापारा	08
			बरकोन्हा	08
			फूडहरधाप	08
			सायफनपारा	07
2.	थाना-अर्जुनी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी.	थाना-केरेगांव, तहसील-नगरी जिला-धमतरी.	तेन्दुकोना	32
			भोयना	32
			मथुराडीह	32
			जंवरगांव	35
			अरौद	30
			लीलर	35
			भरारी	35
			भंवरमरा	35
			जोगीडीह	35
			बागाडोर	35
3.	थाना-रूद्री, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी.	थाना-केरेगांव, तहसील-नगरी जिला-धमतरी.	कोटाभर्री	
4.	थाना-दुगली, तह.-नगरी, जिला-धमतरी	थाना-मगरलोड, तह.-मगरलोड जिला-धमतरी.	कासरवाही	17
			घोठिया दादर	17
			बासीखाई	17
			सिरकट्टा	17
			धनोरा	17
			भंडारवाही	17
			मुरूमडीह	17
			पालवाडी	17
			सोनझरी	17

जिला-बालोद

1.	चौकी कंवर, थाना-गुरूर, तह.-गुरूर, जिला-बालोद	थाना-गुरूर, तह. गुरूर, जिला-बालोद.	अरकार	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना देवरी, जिला-बालोद	थाना-सुरेगांव, तहसील-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद	किसना	23
			हरदी	05
			भरदा	06
3.	थाना-देवरी, तहसील-डौंडीलोहरा जिला-बालोद	थाना-डौंडीलोहारा, तहसील-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद	पसौद	21
4.	थाना-महामाया, जिला-बालोद	थाना-डौंडी, जिला-बालोद	खैरवाही	20
			बम्हनी	25
			कुसुमटोला	25
			अकोला	22
5.	थााना-गुण्डरदेही,-जिला-बालोद	थाना-अण्डा, जिला-दुर्ग	डंगनिया	15
			गुरेटा	16
			नांहदा	15
			खप्परवाडा	09
			देवरी (ख)	09
			ओटेबंद	10
			परसदा	10
			सिरसिदा	11
			गोरकापार	13
जिला-बेमेतरा				
1.	चौकी-देवकर, थाना-साजा तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा	थाना-धमधा, तह.-बेरला जिला-दुर्ग	चोबी खपरी	06
			डंगनिया	05
			बचेडी	06
		थाना-धमधा, तह.-साजा, जिला-दुर्ग.	डेहरी	29
		थाना-धमधा, तह.-बेरला, जिला-दुर्ग.	कुन्हीबुडा	06
		थाना-धमधा, तह.-साजा, जिला-दुर्ग.	खुरूसबोड	21
		थाना-धमधा, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग.	भिभोरी	06
		थाना-धमधा, तह.-साजा, जिला-दुर्ग	सहसपुर	29
			लालपुर	29
2.	थाना-धमधा, तह.-धमधा जिला-दुर्ग.	थाना-परपोडी, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा.	साल्हे खुर्द	01
1.	थाना-जयनगर, तह. एवं जिला सूरजपुर.	थाना-गांधीनगर, जिला-सरगुजा	आमगांव	52
			ठाकुरपुर	52
			बिशुनपुर खुर्द	52
			रामश्वरपुर	42
			छतरपुर	42
			कल्याणपुर	43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			अखोरा	43
			पोडिपा	44
			मजीरा	45
2.	थाना-गांधीनगर, तह.-अंबिकापुर जिला-सरगुजा.	थाना-जयनगर, जिला-सूरजपुर	कोल्डीहा	18
			बांकीपुर	18
			फतेहपुर	19
			मुडेसा	21
			कृष्णापुर	21
3.	थाना-उदयपुर, जिला-सरगुजा	थाना-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर	मूडगांव	13
			कठमुण्डा	13
			नारायणपुर	13
			डोई	13
			फलचुही	13
4.	थाना-उदयपुर, जिला-सरगुजा	चौकी तारा, थाना-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर.	दौलतपुर	15
			गुमगा	15
			साल्ही	16
			परसा	16
			केते	16
			बासेन	16
			हरिहरपुर	16
			घाटबर्रा	17
			सैदु	17
			सुसकम	17
			परोगिया	17
			फतेहपुर	17
5.	थाना-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा	थाना-धौरपुर, जिला-सरगुजा	कुन्दीकला	15
			डकई	16
			करगीडीह	26
जिला-सूरजपुर				
1.	थाना-राजपुर, जिला-बलरामपुर	थाना-प्रतापपुर, तहसील-राजपुर जिला-बलरामपुर	पकराडी, परसवार	2
जिला-जशपुर				
1.	चौकी पण्ड्रापाठ, थाना-बगीचा, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर	थाना-सन्ना, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर.	बुरजुडीह	02
			हुकराकोना	
			छीरोडीह	
			महनई	
2.	चौकी मनोरा, थाना जशपुर, तह.-मनोरा, जिला-जशपुर	थाना-आस्ता, तहसील-मनोरा जिला-जशपुर.	पकरीटोली	16
			सकरडीह	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	चौकी सोनक्यारी, थाना-सन्ना, तह. मनोरा, जिला-जशपुर.	थाना-आस्ता, तहसील-मनोरा जिला-जशपुर.	तालासीली	06
4.	थाना-सन्ना, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर.	थाना-आस्ता, तहसील-मनोरा, जिला-जशपुर.	लफुआकोना	01
5.	थाना-बगीचा, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर	थाना-नारायणपुर, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर	गायलूंगा, कलिया बुटूंगा	39
6.	थाना-कांसाबेल, तहसील-कांसाबेल जिला-जशपुर.	थाना-बागबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर	कुडकेल खजरी	24
7.	थाना-बगीचा, तहसील-बगीचा जिला-जशपुर.	थाना-कांसाबेल, तहसील-कांसाबेल, जिला-जशपुर	मरोल समदुरा घोधरी ढोढरअम्बा	34
8.	थाना-नारायणपुर, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर	थाना-बगीचा, तहसील-बगीचा जिला-जशपुर	रमसंभा	41
9.	थाना-दुलदुला, तहसील-दुलदुला जिला-जशपुर.	चौकी-आरा, थाना-जशपुर, तहसील-जशपुर, जिला-जशपुर	सालामाली टेढापहाड	07
जिला-बलरामपुर				
1.	चौकी वाड्रफनगर, तहसील-वाड्रफनगर.	थाना-चलगली, तहसील-वाड्रफनगर.	बुढाडांड ढोढो पनसरा कैलासपुर परसडीहा बरतीकला बरतीखुर्द शिवरी अमडीहा सवित्रिपुर जमाई भलाई झोर	31 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32 34
2.	थाना-बलरामपुर, तहसील-बलरामपुर.	थाना-चलगली, तहसील-बलरामपुर.	चम्पापुर पथरी	04 04
3.	चौकी-विजयनगर, तहसील-रामचन्द्रपुर	थाना-त्रिकुण्डा, तहसील-रामचन्द्रपुर	चलखी	21
4.	थाना-कुसमी, तहसील-कुसमी	थाना-सामरीपाठ, तहसील-कुसमी	चंदाडांडी	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला-कोरिया				
1.	थाना-पोडी, तह-बैकुण्ठपुर	थाना-झगराखाण्ड, तह.-मनेन्द्रगढ़	सिरियाखोह	11

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2014

क्रमांक एफ 4-72/2007/32.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधिनियम, 1972 की धारा 2(7) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दर्शाये गये क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

क्र.	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिला)
1.	श्री डी. के. दीवान, उपायुक्त-I, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर	रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, भाटापारा-बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव.
2.	श्री हर्ष कुमार जोशी, उपायुक्त-II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर	महासमुंद, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मुंगेली, जशपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2014

क्रमांक एफ 4-72/2007/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 20th March 2014

No. F 4-72/2007/32.—The State Government authorizes in exercise of powers conferred vide Section 2(7) of Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Act, 1972, to discharge duties as Competent Authority for the jurisdiction specified as under :—

No.	Authorized Officer	Jurisdiction (Revenue Districts)
1.	Shri D. K. Diwan, Dy. Housing Commissioner-(I)	Raipur,, Dhamtari, Gariyaband, Raigarh, Bhatapara-Balodabazar, Durg, Bemetara, Balod, Rajnandgaon, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon.
2.	Shri H. K. Joshi, Dy. Housing Commissioner-(II)	Mahasamund, Kabirdham, Bastar, Kanker, Dantewada, Bilaspur, Janjgeer-Champa, Korba, Sarguja, Korea, Surajpur, Balrampur-Ramanujganj, Mungeli, Jashpur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-01/2011/32.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 20-03-2013 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई, भाग-एक में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना दुर्ग-भिलाई, भाग-एक में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुरैना प.ह.नं. तहसील व जिला दुर्ग	66/1, 74/P, 75, 76/1, 76/2, 77, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 146/1, 146/2, 146/5, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 159, 160, 163/3, 165, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5P, 164/6P, 164/7P, 164/8P, 166, 167/2, 168/2, 167/1, 168, 169, 170, 171/P, 172/P, 179, 180, 182/1, 183/1, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/2, 201/1P, 201/2, 201/3, 201/1, 203/P, 202/2, 232/1P, 232/2, 232/3, 232/4, 232/6, 264/6, 276/1P, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 279/2, 280, 301/1, 301/2, 301/3, 304, 305, 306, 307, 308/2, 308/3, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 316/1	437.70 एकड़	वृक्षारोपण (प्लांटेशन) आवासीय एवं एम.आर.-37	औद्योगिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	मोरिद प.ह.नं. तहसील व जिला दुर्ग	161/3, 62/1, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 64/1, 64/2, 65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 76/5, 102, 103/1, 103/2, 104/4, 105, 106, 107, 108/3, 108/4, 108/7, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 128/1, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136, 137, 147/3G, 165/1P, 168/P, 173/P, 176/1, 2, 3, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 181/1, 182/2, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185, 186/1, 186/2, 187, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 195, 196, 197, 198, 199P, 200P, 201, 201/1, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342/1, 342/2	103.30 एकड़	वृक्षारोपण (प्लांटेशन)	
3.	भिलाई	547/2 to 547/7, 547/9-10, 547/13-15, 548P, 459P, 550P, 600/2, 602/1, 602/2, 600/1, 599, 602/3, 604/3, 604/1, 604/2, 604/4, 603, 605/1,2,3, 578, 604/4, 604/2, 603, 605/1,2,3 598/1 to 15, 581, 596, 595/1,2, 597, 589/1, 591, 590, 592, 587P, 586P, 575/1P, 593, 584P, 576P, 582P, 580, 579, 599P, 594, 574P, 588P, 571P, 573/1,5P, 275P, 289P, 290/2P, 290/1, 291, 292, 293, 78, 79, 79/2पी, 79/3, 80P, 81P, 106पी, 105P, 134P, 135/1, 91P	118.00 एकड़	आवासीय	औद्योगिक

2. उक्त उपांतरण एन.एस.पी.सी.एल. के औद्योगिक प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा विकास योजना दुर्ग भिलाई, भाग-एक में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण विकास योजना दुर्ग भिलाई, भाग-एक का अँगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

ENERGY DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 30th April, 2014

No. 1014/F-21/12/2013/PPBond/13/2/ED/2014.—The Government of Chhattisgarh is pleased to guarantee the timely repayment of principal and payment of interest of bonds to be issued Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd., (CSPDCL), a successor company of erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board, during the financial year 2014-15 for Rs. 500 Crore (Rupees Five Hundred Crore) on the following terms and conditions :—

1. Issue Size Rs. 500 crore (Rs. 250 Crore with Green-shoe option of Rs. 250 Crore).

2.	Minimum application size and Face Value	The application size would be one bond having Face Value of Rs. 1,00,00,000/- (Rs. One Crore) or multiple thereof.
3.	Interest on application money.	The interest on application Money will be paid at coupon rate after deducting income tax at source (if applicable) from the date of receipt of money into CSPDCL's bank account to one day prior to the date of allotment.
4.	Currency/Maturity and redemption period.	The tenure of the bonds will be 20 years, with 10 years, moratorium and re-payment in Ten (10) equated annual in stallments each of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lacs) inclusive of interest starting from the end of 11th year. Each Bonds will comprise of ten (10) detachable "Separately Transferable Redeemable Principal Parts" (STRIPP's).
5.	Security	The bonds will be secured by structured payment mechanism backed by Unconditional and Irrevocable Guarantee of the State Government of Chhattisgarh.
6.	Listing	The Bonds will be Listed on the National Stock Exchange of India (NSE)/BSE Limited.
7.	Dematerialization	The bonds will be admitted on National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for Dematerialization.

The Guarantee is Unconditional and Irrevocable and will remain in force till all the bonds issued by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited pursuant to this are redeemed. This issue with the concurrence of Finance (Budget) Department vide Dispatch No. 1847/B-4/Four/2014 dated 28-02-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BAHU, Special Secretay.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/(6)52.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग), तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 6 के कॉलम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

4. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

5. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 से 13 के कॉलम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1)	अपर संचालक (रेशम)	—	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त संचालक (रेशम)	—	सदस्य
(3)	उप संचालक (रेशम)	—	सदस्य
(4)	संचालक द्वारा नाम निर्देशित	—	सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधि

6. अनुसूची-चार में सरल क्रमांक 8 के कॉलम (3) में शब्द "लेखापाल ग्रेड-2" के स्थान पर शब्द "लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो" प्रतिस्थापित किया जाये.

7. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (3) में शब्द "सहायक ग्रेड-दो" के स्थान पर, शब्द "सहायक ग्रेड-तीन (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)" प्रतिस्थापित किया जाये.

8. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (5) में, शब्द "लेखापाल ग्रेड-दो" के स्थान पर शब्द "लेखापाल" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/(6)52.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2008/(6)52 दिनांक 09-5-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 9th May 2014

No. F 1-5/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For column (7) of Serial number 6 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Education Board,

OR

— Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For column (7) of Serial number 7 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Education Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :—

(a) **For Stenographer (Hindi)** — Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer**— Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For column (7) of Serial number 8 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Date Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

4. For column (7) of Serial number 9 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

5. For column (6) of serial number 1 to 13 of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :—

"(1)	Additional Director (Sericulture)	—	Chairman
(2)	Joint Director (Sericulture)	—	Member
(3)	Deputy Director (Sericulture)	—	Member
(4)	One representative of Schedule caste/ schedule tribe/Other Backward classes nominated by the Director.	—	Member

6. In column (3) of serial number 8 of Schedule-IV, for the words "Accountant Grade-II" the words "Accountant/ Assistant Grade-II" shall be Substituted.

7. In column (3) of serial number 9 of Schedule-IV, for the words "Assistant Grade-II" the words "Assistant Grade-III (Account Exam Pass)" shall be Substituted.

8. In column (5) of serial number 9 of Schedule-IV, for the words "Accountant Grade-II" the words "Accountant" shall be Substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा साल बीजों से संबंधित पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में साल-बीज "विनिर्दिष्ट वनोपज" नहीं रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2, दिनांक 24-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Raipur, the 24th May 2014

No. F 13-7/2012/10-2.— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 22-A of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and in supersession of all previous notifications related to Sal Seeds, the State Government, hereby, declares that Sal Seeds shall not remain to be a "specified forest produce" in the entire State of Chhattisgarh, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ 5-22/18/2014.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कालम (2) में उल्लिखित नगर पालिक निगमों को, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित शहरी क्षेत्र में, स्थानीय सार्वजनिक परिवहन तथा इसके अन्य आनुषंगिक कार्यों के संचालन का कार्य, उक्त तालिका के कॉलम (4) में सूचीबद्ध शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयं या किसी विशेष प्रयोजन यान के माध्यम से, जिसमें नगर पालिक निगम की अकेले या संयुक्त रूप से अन्य नगर पालिक निगमों के साथ हिस्सेदारी हो, सौंपती है, अर्थात् :—

तालिका

क्र. (1)	नगर पालिक निगम (2)	शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित स्थानीय निकाय (3)	शर्तें (4)
1.	रायपुर	मानाकैंप, बीरगांव, आरंग, बलौदाबाजार, पलारी, कसडोल, लवन, महासमुंद, फिंगेश्वर, बागबाहरा, धमतरी, भखारा, गोबरानवापारा, राजिम, अभनपुर.	(एक) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर किराया विहित किया जायेगा. (दो) बसें निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलायी जायेंगी. (तीन) राज्य शासन द्वारा निगम को धारा 68 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोई भी प्रशासनिक व्यय देय नहीं होगा. (चार) जिला कलेक्टर, जिसके अधिकार क्षेत्र में शहरी निगम आता हो, धारा 68 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राधिकारी होगा.
2.	भिलाई	भिलाई-चरौदा, कुम्हारी, जामुल, दुर्ग, उतई, पाटन, धमधा, परपोडी, देवकर, गंडई, साजा.	—तदैव—
3.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, कवर्धा, पिपरिया, बोड़ला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई.	—तदैव—
4.	बिलासपुर	रतनपुर, तिफरा, बिल्हा, सकरी	—तदैव—
5.	कोरबा	कटघोरा, छुरियाकला, दीपका	—तदैव—
6.	रायगढ़	किरोडीमलनगर, पुसौर, सरिया, जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा.	—तदैव—
7.	चिरमिरी	शिवपुर-चरचा, बैकुंठपुर	—तदैव—
8.	अंबिकापुर	लखनपुर, विश्रामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कुनकुरी.	—तदैव—
9.	जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कोण्डागांव, फरसगांव, विश्रामपुरी, दंतेवाड़ा, गीदम.	—तदैव—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ 5-22/18/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/18/2014, दिनांक 20-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 20th May 2014

No. F 5-22/18/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, entrusts to the Municipal Corporations mentioned in column (2) in the Urban agglomeration mentioned in column (3) of the Table below, Subject to the conditions listed in column (4) of the side Table with the function of operating local public transport and other functions incidental there to directly or through a special purpose vehicle, in which the Municipal Corporations shall have Share holdings singly or jointly with other Municipal Corporation, namely :—

TABLE

Sl. No. (1)	Municipal Corporation (2)	Local Areas included in the Urban Agglomeration (3)	Conditions (4)
1.	Raipur	Mana Camp, Birgaon, Arang, Balodabazar, Palari, Kasdol, Lawan, Mahasamund, Fingeshwar, Bagbahra, Dhamtari, Bhakhara, Gobranayapara, Rajim, Abhanpur.	(i) The fare shall prescribed by the State Government from time to time. (ii) The buses must ply according to the prescribed time Table. (iii) No extra costs of the administration shall be payable by the State Government to the Corporation under sub-section (3) of Section 68. (iv) The District Collector in whose jurisdiction the Corporation Town falls shall be the authority under Sub-section (4) Section 68 (4).
2.	Bhilai	Bhilai-Charoda, Kumhari, Jamul, Durg, Utai, Patan, Dhamdha, Parpodi, Deokar, Gandai, Saja.	——do——
3.	Rajnandgaon	Dongargarh, Kawardha, Pipariya, Bodla, Khairagarh, Chhuikhadan, Gandai.	——do——
4.	Bilaspur	Ratanpur, Tifra, Bilha, Sakri	——do——
5.	Korba	Katghora, Chhuriyakala, Dipka	——do——
6.	Raigarh	Kirodimal Nagar, Pusaur, Saria, Janjgir-Naila, Champa, Akaltara.	——do——
7.	Chirmiri	Shivpur-Charcha, Baikunthpur	——do——
8.	Ambikapur	Lakhanpur, Vishrampur, Ramanujganj, Jashpur, Kunkuri.	——do——

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Jagdalpur	Bastar, Kanker, Charama, Narharpur, Kondagaon, Farasgaon, Vishrampuri, Dantewada, Geedam	(i) The fare shall prescribed by the State Government from time to time. (ii) The buses must ply according to the prescribed time Table. (iii) No extra costs of the administration shall be payable by the State Government to the Corporation under sub-section (3) of Section 68. (iv) The District Collector in whose jurisdiction the Corporation Town falls shall be the authority under Sub-section (4) Section 68 (4).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सोठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1503/9	0.25
	1509/3	0.42
	1503/12	0.32
	1503/5	0.21
	1503/11	0.31
	1514/7	0.08
	1514/10	0.33
	1514/16	0.37
	1514/18	0.08
योग	9	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामवतार जलाशय की फीडर चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पाराघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	811/1	0.04
योग	1	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हिर्री एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-नरगोड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
8/5, 9	0.39
8/6	0.03
817	0.14
372, 373/1	0.37
380	0.03
1061	0.35
11/1	1.00
18/1	0.22
18/2	0.14
128/3	0.10
128/2	0.50
23	0.32
24/1, 24/2	0.31
30	0.26
31	0.19
32	0.15
33	0.13
37	0.27
39/1, 39/2	0.06
79	0.03
76	0.40
80, 81	0.36
77/1	0.61
89	0.18
373/2	0.01
369/1	0.25
369/2	0.25
1166	0.20
1167	0.45
1161	0.19
1168, 1169	0.13
1148	0.17
1162	0.22
1155	0.03
1158	0.41
337	0.20
1160/1, 1183/1, 1160/2	0.17
336	0.28
335, 338	0.32
334	0.09
1370	0.11
1157	0.26
1149	0.07
365	0.13
366	0.11
349	0.27
350	0.01
351	0.26
353	0.26
355	0.01

(1)	(2)
1368	0.29
1369	0.27
1367	0.03
1371	0.10
1362	0.22
1361/2	0.12
1147/2	0.32
1146/1	0.07
1146/2	0.15
1204/2	0.02
1242	0.02
1071	0.20
1072	0.11
1070	0.21
1053, 1054, 1055	0.21
1062	0.26
946/1	0.02
946/3	0.44
946/4	0.10
946/2	0.14
954	0.52
953/3	0.25
953/7	0.18
953/8	0.18
योग 74	15.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुंगननाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्रमांक/358/कले./व.लि.-2/2014.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जनजनित संक्रामक रोग जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है, गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमरियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रमाक यकृत शोथ अधिनियम, 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं यशवंत कुमार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण नारायणपुर जिला को 6 माह (छ:माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दूकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज-रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपात्तिक हैजा जठर, आन्त्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नारायणपुर के खण्ड चिकित्सा एवं जिले के नगर पंचायत अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टिका लगाने के समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जावेगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.
"यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा."

यशवंत कुमार,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक/2352/कले./व.लि.-2/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही (जल जनित संक्रामक रोग) जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है, गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमरियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रमाक यकृत शोथ अधिनियम, 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं अलरमेल मंगई डी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण कांकेर जिला को 6 माह (छ:माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दूकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज-रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपात्तिक हैजा जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कांकेर, खण्ड चिकित्सा एवं जिले के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र एवं खाद्य अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिए निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टिका लगाने के समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रुप में प्रसारित किया जा रहा है.
"यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा."

अलरमेल मंगई डी,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या.
बी-26, सेक्टर-07, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक/हा./स्था./2014-15/1684.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्रमांक ई-01-04/2014/एक/2 नया रायपुर, दिनांक 01-05-2014 के तहत् प्रबंध संचालक के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में आज दिनांक 05-05-2014 को पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

कृपया भविष्य में किये जाने वाले समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्राचार अधोहस्ताक्षर कर्त्ता के नाम से करने का कष्ट करेंगे.

श्रुति सिंह,
(भा.प्र.से.)
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 980.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1005 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह वैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़/26	196/1	0.065
			196/2	0.061
			196/3	0.050
			195	0.146
			193/1	0.096
			193/2	0.080
			193/3	0.050
			193/4	0.020
			194	0.101
			210/1ख	0.004
			259	0.320
			260/1	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़/26	261/1	0.130
			261/2	0.096
			262	0.080
			263/2	0.050
			263/1	0.050
			264/1	0.057
			264/2	0.010
			253	0.160
			265	0.121
			252	0.320
			251	0.104
			241	0.004
			244	0.324
			243	0.065
			242	0.040
			333	0.028
			332	0.160
			234	0.138
			235	0.121
			140/1	0.579
			140/2	0.190
			116	0.040
			19/2	0.049
			19/2	0.093
			198/1	0.105
			198/2	0.028
			250	0.186
			256	0.081
			245/1	0.040
			128, 130	0.160
			134	0.020
			131, 132, 133	0.202
			127/1, 2, 3, 4, 5, 6	1.157
			197	0.887
		योग		**6.908**

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक 823/नग्रानि/2014.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारंगढ़ निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बासीनबहरा, कोतरी, उधरा, पचपेड़ी एवं खम्हारडीह की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बरदरहा, भंवरपुर, बिजेपुर, उम्मेदपुर, झारपाली, साराडीह एवं बासीनबहरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चन्दाई, जूनाडीह, भेजनार, सारंगढ़, चंवरपुर एवं बरदरहा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम खम्हारडीह, दुर्गापाली, चन्दाई, जूनाडीह एवं भेजनार की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :- कार्यालय नगर पंचायत सारंगढ़ (नवीन भवन सभा कक्ष)

No. 823/N.G.N./2014.— It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section-15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of "Sarangarh Town" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Assistant Director. Town & Country Planning, Raigarh (C.G.) Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section-15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limit of Sarangarh Planning Area

NORTH	:	Village Basinbahra, Kotri, Udhara, Panchpedi and up to the Northen Limit of Khamhardih.
EAST	:	Village Baradarha, Bhanwarpur, Vijaipur, Ummedpur, Jharapali, Saradih and up to the Eastern Limit of Basinbahra.
SOUTH	:	Village Chandai, Junadih, Bhejnar, Sarangarh, Chanwarpur and up to the Southern Limit of Baradarha.
WEST	:	Village Khamhardih, Durgapali, Chandai, Junadih and up to the Western Limit of Bhejnar.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, except holidays.

Inspection site :— Office of the Nagar Panchayat Sarangarh (Navin Bhawan, Shabha Kaksh)

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th April, 2014

No. 368/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.III).—(A) Smt. Anita Jha, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is transferred and appointed as Director (C.S.J.A.) in the Establishment of the High Court from the date she assumes charge of her office.

(B) Shri R.C.S. Samant, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Director (C.S.J.A.) and In-Charge Selection & Appointment Cell is appointed as Registrar (Inspection & Enquiry) and In-Charge Selection & Appointment Cell in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(C) Shri Ramashankar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog, Raipur is transferred and appointed as Additional Registrar (D. E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 370/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, are hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assumes charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assumes charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, Additional Registrar (D. E.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	District & Sessions Judge.
2.	Shri. Radhakishan Agrawal, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Korba	Korba	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 372/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assumes charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assumes charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rakesh Bihari Ghore, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.	Durg	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Suresh Kumar Soni, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Rajnandgaon	Janjgir	Janjgir-Champa	I Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Rajendra Pradhan, II Addl. District & Sessions Judge.	Manendragarh	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam, Additional District & Sessions Judge.	Sarangarh	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	II Additional District & Sessions Judge.
5.	Smt. Suman Ekka, Addl. District & Sessions Judge (F.T.C.)	Ambikapur	Raipur	Raipur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
6.	Smt. Neeta Yadav, I Additional District & Sessions Judge	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
7.	Smt. Anita Dahariya, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Dantewara	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
8.	Shri Abdul Zahid Qureshi, I Additional District & Sessions Judge.	Balodabazar	Katghora	Korba	Additional District & Sessions Judge.
9.	Smt. Pragya Pachouri, A.D.J. (F.T.C.)	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
10.	Shri Alok Kumar, VII Additional Disrtict & Sessions Judge	Raipur	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Uttara Kumar Kashyap VI Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Brijendra Kumar Shastri VI Additional District & Sessions Judge.	Durg	Balodabazar	Balodabazar	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Shri Chhameshwar Lal Patel Presiding Officer, Wakf Tribunal.	Raipur	Bemetara	Bemetara	Additional District & Sessions Judge.
14.	Smt. Girija Devi Meravi, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Bilaspur	Durg	Durg	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
15.	Ku. Saroj Nand Das, I Additional District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Khairagarh	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Mohd. Rizwan Khan, II Additional District & Sessions Judge.	Balod	Balod	Balod	I Additional District & Sessions Judge.
17.	Smt. Dhaneshwari Sidar, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Rajnandgaon	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
18.	Shri Sirajuddin Qureshi, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur	III Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 374/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2), of the table below, who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in column No. (4) and are posted in the capacity as specified in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Senior Civil Judges as specified in Column No. (2) are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assumes charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gopal Krishna Neelam, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raigarh	Janjgir	Janjgir-Champa	III Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Praveen Kumar Pradhan, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bemetara	Balodabazar	Balodabazar	III Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Vinod Kumar Dewangan II Civil Judge Class-I.	Korba	Raipur	Raipur	VI Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mungeli	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	VI Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dhamtari	Durg	Durg	VI Additional District & Sessions Judge.
6.	Ku. Ranju Rautrai, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mahasamund	Bilaspur	Bilaspur	V Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Ramjivan Dewangan, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kondagaon	Balodabazar	Balodabazar	II Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Anand Ram Dhidhi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bijapur	Bilaspur	Bilaspur	VII Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Gregory Tirkey, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Ambikapur	Ambikapur	Ambikapur	V Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Rishi Kumar Barman, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kanker	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge.
11.	Smt. Geeta Neware, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balodabazar	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.
12.	Smt. Prisilla Paul Horo, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Korba	Korba	Korba	II Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Prabodh Toppo, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kawardha	Dantewara	Dantewara	Additional District & Sessions Judge.
14.	Shri Srinarayan Singh, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Gariaband	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.
15.	Shri Sheikh Ashraf, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Durg	Durg	Durg	III Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Liladhar Sarthi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balrampur at Ramanujganj	Bilaspur	Bilaspur	VI Additional District & Sessions Judge.
17.	Shri Alok Kumar, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.
18.	Shri Omprakash Singh Chauhan, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.
19.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari VI Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	V Additional District & Sessions Judge.
20.	Smt. Leena Agrawal, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Additional District & Sessions Judge.
21.	Shri Pankaj Kumar Jain, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jagdalpur	Jagdalpur	Jagdalpur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Shri Pankaj Kumar Sinha, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Janjgir-Champa	Janjgir	Janjgir-Champa	II Additional District & Sessions Judge.
23.	Shri Harish Kumar Awasthi, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	III Additional District & Sessions Judge.
24.	Smt. Shraddha Shukla Sharma I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur	Raipur	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge.
25.	Smt. Madhu Tiwari, Civil Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balod	Balod	Balod	II Additional District & Sessions Judge.
26.	Smt. Garima Sharma, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Khairagarh	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.
27.	Shri Yashvant Kumar Sarthi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Sukma	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge.
28.	Shri Rajendra Kumar Verma, Civil Judge C lass-I & C.J.M.	Dantewara	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th April 2014

No. 376/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	Sepcial Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 14th May 2014

No. 3732/S & A Cell/2014.—In the exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended from time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in C.A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U.P. Public Service Commission & ors.), the High Court of Chhattisgarh notifies the anticipated

vacancies in respect of District Judge (Entry Level) as under :—

I.

(a)	By Promotion in accordance with Rule 5 (1) (a)	10 posts
(b)	By promotion through limited competitive examination in accordance with Rule 5(1)(b)	02 posts
(c)	By direct recruitment from the Bar in accordance with Rule 5(1)(c)	08 posts (Including 2 posts-treated as "unreserved" from the vacancy of ST category of recruitment Year 2012 remained unfilled after re-advertised recruitment process and declared unreserved under proviso to Rule-6 (1) of the C.G.H.J.S. Rules, 2006; and 2 posts treated as reserved for ST candidates from the unfilled vacancies of recruitment Year 2013 in ST category.)

By order of Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

High Court of Chhattisgarh, Bilaspur
(Before Hon'ble Mr. Justice T.P. Sharma)

Election Petition No. 12/2009

Tularam Yadav (died)

Versus

Lekhram Sahu and others
(Fixed for 23rd June, 2014)

Notice for Publication of the Factum of Death of Sole Petitioner Namely— Tularam Yadav
[Under Section 112 (2) of the Representation of the People Act, 1951]

The sole petitioner— Shri Tularam Yadav, had filed the Election Petition No. 12/2009 under Section 80, 80-A and 81 of the Representation of the People Act, 1951, challenging the Election of Shri Lekhram Sahu from the State Legislative Assembly Constituency No. 57, Kurud, the result of which was declared on 8-12-2008. Said Shri Tularam Yadav the sole petitioner, is died on 26-3-2014. Therefore, the election petition abates under sub-section (1) of Section 112 of the Representation of the People Act, 1951, on the death of sole petitioner.

In accordance with the provisions of Section 112(2) of the Representation of the People Act, 1951, the factum of death of sole petitioner is hereby notified to all concerned so that the person(s), so interested, may apply for substitution as petitioner in the election petition, within 14 days from the date of publication of this notice in the gazette.

All concerned to take notice that 23rd day of June, 2014 has been fixed for hearing and the case will be laid before the Court on that day. If no appearance is made to apply for substitution as petitioner in the election petition, either in person or through counsel, or some one legally authorized to act for and on behalf of interested person(s), the election petition will be heard and decided in accordance with law.

Given under my hand and the seal of the High Court of Chhattisgarh at Bilspur on this 2nd day of May, 2014.

By order of the High Court,
POORAN SINGH THAKUR, Deputy Registrar.

Bilaspur, the 29th April 2014

No. 582/L.G./2014/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby granted earned leave for 02 days on 04-04-2014 & 05-04-2014 along with permission to leave headquarters from 04-04-2014 till 06-04-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th April 2014

No. 583/L.G/2014/II-2-05/2006.—Shri Ravishankar Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 04 days from 19-03-2014 to 22-03-2014 along with permission to remain out of headquarters from 15-03-2014 till 23-03-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 258 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th April 2014

No. 584/L.G./2014/II-3-04/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 04 days from 14-04-2014 to 17-04-2014 along with permission to remain out of headquarters from the night of 11-04-2014 till before the office hours of 21-04-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 205 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).